"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2010

आदेश

क्रमांक-एफ-134/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2010/3053.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) सहपठित नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

कार्यवाही (1)	संबंधित नियम (2)	निर्धारित तारीख एवं समय (3)
1. (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और	21, 22	29-11-2010 सोमवार (i) पूर्वान्ह 10.30 बजे से
(ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)		29-11-2010 सोमवार से (ii) पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध से सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा).	22 "क"	29-11-2010 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
(vi) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	16	29-11-2010 सोमवार प्रात: 10.30 बजे से
2. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	6-12-2010 सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ख)	7-12-2010 मंगलवार पूर्वान्ह 10.00 बजे से
4. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	9-12-2010 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	31, 32	9-12-2010 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6. मतदान (यदि आवश्यक हो) i-नगर पंचायत भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, विश्रामपुरी, नरहरपुर, कोंटा तथा न. पंचायत बीजापुर का रिक्त वार्ड क्र. 12 एवं बस्तर का रिक्त वार्ड क्र. 12 के लिये.	21 (घ)	21-12-2010 मंगलवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक
ii-शेष नगरीय निकायों तथा रिक्त पदों के लिये.		प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक
7. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग आफिसर द्वारा)	21 (ङ)	24-12-2010 शुक्रवार प्रात: 9.00 बजे से

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

परिशिष्ट

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय नाम (3)
1.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, भिलाई नगरपालिका परिषद्, भिलाई चरौदा नगरपालिका परिषद्, जामुल नगर पंचायत, मारों नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14 तथा 15 नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा रिक्त वार्ड क्रमांक-07
2.	रायपुर	नगरपालिका परिषद्, बीरगांव
3.	राजनांदगांव	नगरपालिका परिषद्, खैरागढ़
4.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरमगढ़ नगर पंचायत भोपालपट्टनम नगर पंचायत बीजापुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-12
5.	कबीरधाम	नगर पंचायत पंडरिया रिक्त वार्ड क्र. 04
6.	बस्तर	नगर पंचायत बस्तर रिक्त वार्ड क्र. 12 नगर पंचायत, विश्रामपुरी
7.	सरगुजा	नगर पंचायत, प्रेमनगर
8.	कांकेर	नगर पंचायत, नरहरपुर
9.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, कोंटा
10.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, शिवपुरचरचा

नोट :— कुल नगरपालिक निगम 01, नगरपालिका परिषद् 05, नगर पंचायत 07, कुल 13 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन एवं 07 रिक्त वार्ड के उप निर्वाचन होना है.

एस. के. तिवारी,
उप-सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.